प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00823/2022-2023 दिनांक 05/07/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/BAS/05362/2022-2023 पत्रावली संख्या:G-58263 दिनांक:2016-2017

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **स्व0 रामचन्द्र लाल एजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, 531 विवेकानन्द कालोनी मडवानगर गाधीनगर तहसील-बस्ती जनपद बस्ती, बस्ती , 272002** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 792/2016-2017 दिनांक-23/09/2016 को दिनांक-23/09/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1550 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(Ajay Kumar Shahi)
0097FB1C47DF3F7B5BB0589C12A76E5CD27FC364
Date: 05/07/2022 12:47:38 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-05/07/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AD 033768

[illegible] सोशल वेलफेयर सोसाइटी

[illegible] विवेकानन्द [illegible] गांधीनगर

[illegible] 07-58263

[illegible]

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

07AD 033769

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्व० रामचन्द्र जालान हेल्थ एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी
531 विवेकानन्द कालोनी मझुआ नगर गांधीनगर
बस्ती फाइल नं० वी – 58263
के साथ संलग्न है
[illegible]

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :: स्व0 रामचन्द्र लाल एजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी।
2. संस्था का पूरा पता :: 531 विवेकानन्द कालोनी, मड़वानगर गांधीनगर तह0. बस्ती जनपद बस्ती।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का स्वरूप :: सामाजिक / शैक्षणिक।
5. संस्था के मुख्य उद्देश्य–
   1. प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।
   2. सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यो को करना।

अन्य उद्देश्य–

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बालक / बालिकाओं हेतु, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, वाणिज्य, संस्कृत, की शिक्षा प्राईमरी जू0हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर, तथा महाविद्यालयों के अतिरिक्त उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना, विशेषकर ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों, कन्या विद्यालयों / महाविद्यालयों की स्थापना करना व अविकसित विद्यालयों की प्रगति के लिए प्रयास करना व प्राईमरी से लेकर उच्च स्तर तक अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालयों की स्थापना करना जिसमें सी.बी.एस.ई.बोर्ड, आई.सी.एस.ई.बोर्ड / यू0पी0बोर्ड की मान्यता प्राप्त करके विद्यालयों का संचालन करना। आवासीय हास्टल का प्रबन्ध करना।
2. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सचरित्र नागरिक बनाना।
3. समाज के अल्पसंख्यक, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की बालिकाओं हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण जैसे– कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डी0टी0पी.सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण रेक्सीन कला, गृह सज्जा, आचार, मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, सर्फ, साबून, मोमबत्ती, पापड़ मसाला ब्यूटी पार्लर के बारे में प्रशिक्षण व जानकारी देना।
4. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमड़ा उद्योग रेक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना, तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल, नाली, सीवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलिन बस्तियां की सफाई के कार्यो में सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना।
6. समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना, नाट्यमंच व चलचित्र द्वारा लोगों को शिक्षा के बारे में ज्ञान करवाना।
7. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना के बारे में लोगों को ज्ञान करवाना व शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।
8. संस्था के माध्यम से प्राकृतिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से छात्र जीविका निर्वाह की समस्या का स्वतः समाधान कर सके।
9. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना तथा इन लोगों के रहने के लिए निःशुल्क आश्रम बनवाना।
10. विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना
11. बालश्रम, विद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण, पुस्तकालय, वाचनालय, बालक / बालिकाओं के लिए हास्टल का प्रबन्ध करना।
12. संस्था के माध्यम से अल्पसंख्यक, हरिजन, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा का ज्ञान करवाना।

Ravindra Prakash Srivastava

.....2

Praveen Srivastava शीलादेवी रूपा प्रीती श्रीवास्तवा Rashmi

सरिता रवीन्द्र रामजियावन

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज उत्तर प्रदेश गोरखपुर सत्यमेव जयते

13. कृषि विकास हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, आधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, पशुपालन व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना।
14. औषधी कार्यों के लिये जड़ी– बुटियों, जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना, व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रमों के द्वारा जैविक खेती एवं ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
15. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गांवों मे व्यापक स्तर पर निःशुल्क संचालित करना, यथा – टीकाकरण, पल्स पौलियों, हेपोटाइटिस, फाईलेरिया, मलेरिया, क्षयरोग, एड्स, कैंसर, टी.वी. व कुछ क्षेत्रीय बीमारियें के रोगथाम के लिए प्रचार–प्रसार करना व जानकारी देना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की निःशुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना, रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जनसाधारण को जानकारी मुहैया कराना, निःशुल्क नेत्र चिकित्सालयों, नेत्र दान रक्तदान हेतु कैम्प लगवाना व भ्रुण हत्या की रोकथाम के लिए प्रयास करना, कुष्ठ रोगियों की सेवा करना व सरकार से अनुमति लेकर कुष्ठाआश्रम की स्थापना करना व संस्था के माध्यम से एम्बुलेन्स एवं परिवहन का प्रबन्ध करना।
16. समाज में व्याप्त छूआछूत, ऊच–नीच तथा जाति धर्म की विषमता को समाप्त करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक, अधिकारों की जानकारी देना।
17. शराब व मादक पदार्थो का सेवन करने वालों की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार नशा उन्मूलन एवं पुर्नवास केन्द्र स्थापित करना।
18. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को साचरित्र नागरिक बनाना।
19. जल संरक्षण, जलसंचयन, जलचक व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा जल प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय संगोष्ठी शोध केन्द्रों की स्थापना करना।
20. भेड़ बकरी, मुर्गी, पालन को बढ़ावा देना व इसको पालने के बारे में लोगों को जानकारी देना पशुओं को रखने के लिए पशुवाड़ा की स्थापना करना।
21. दैवी आपदा, यथा– बाढ़, भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग, महामारी इत्यादि विभिन्न बीमारियें व कठिनाइयें में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन–साधारण की हर तरह से सेवा करना।
22. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एव खेल मंत्रालयों एवं अन्य मंत्रालयों तथा उ0प्र0 सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों और विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओ की जानकारी देना।
23. सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य, म्यूजिक, नाट्य, के कार्यक्रमों की निःशुल्क जानकारी देना।
24. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास तथास पुस्तकालय का प्रबन्ध करना।
25. खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गांवों एवं शहरों मूं अभिरूचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना व खेलाडियों को प्रोत्साहित व पुरष्कृत करना व अखाडे का संचालन करना।
26. सीमा क्षेत्र के इलाकों के विकास के लिए कार्य करना, वैकल्पिक उजा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करना।
27. दहेज प्रथा अंध विश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।
28. बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ, आई.एल.ओ., यूनोडो, सिडवी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिफेम एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर कन्धे से कन्धा मिलाकर योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना।
29. सरकार से अनुमति लेकर नर्सेज ट्रेनिंग, व टीचर्स ट्रेनिंग विद्यालयों की स्थापना करना व जानकारी देना।
30. विज्ञान प्रोद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना एवं विज्ञान भवनों की स्थापना करना।

Praveen Srivastava शीला देवी संध्या Ravindra Prakash Srivastava
सरिता रवीन्द्र रामजियावन प्रीती श्रीवास्तवा
Rasmi

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

31. विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय, आश्रम–पद्धति विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध की स्थापना करना एवं निःशुल्क संचालन करना।
32. आम जनता के उपयोग के लिए धमार्थ कम्यूनिटी हाल, बरातघर, वृद्धाआश्रम, महिलाआश्रम, अनाथालय, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, धमार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टुडियों, रात्रि निवास, शार्ट–स्टे होम, मूक बधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना।
33. बालिकाओं/महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आकमण की रोकथाम हेतु युवतियों को आवश्यक जानकारी देना अविवाहित माता, विधवा, पारिवारिक हिंसा, दहेज प्रथा, दहेज पीड़ित आदि से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना साथ ही गरीब असहाय लड़कियों की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाओं को करवाना।
34. प्राकृति संसाधानों पर आधारित सामाग्रियों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्वति विकसित करना।
35. स्वंय सहायता समूहों का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी कराना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना, सरकार परक योजनाओं में सहायता सहयोग करके शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व नवयुवतियों को रोजगार की जानकारी प्रदान कराना।
36. वन–सम्प्रदा के दोजन को रोकने को प्रोत्साहित करना व पर्यावरण के गुणों के बारे में जानकारी देना।
37. समाज के सभी वर्ग के लोगों को अध्यात्मिक, सामाजिक, व शिष्टाचार का ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्ति का सहयेाग प्राप्त करना व इसका प्रचार व प्रसार करना।
38. गौशाला खोलवाकर, पशुपक्षियों की सेवा करना तथा अवैधानिक तरीके से पशुपक्षियों का शिकार करने वालों पर रोक लगवाना तथा जीव– जन्तुाओं के कल्याणार्थ कार्य करना।
39. प्राकृतिक पर्यावरण की संतुलन धरोहर की रक्षा करना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराना विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों का उत्पादन करना व बागवानी करना।
40. देश विदेश से आये विद्यार्थियों बौद्व भिक्षुओं, व्यपारियों व किसानों के ठहरने हेतु धर्मशालाओं की व्यवस्था कराना व उसकी निःशुल्क व्यवस्था एवं संचालन करना।
41. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना।
42. अल्पसंख्यक बालक एवं बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ज्ञान करवाना
43. देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकना तथा बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति को रोकना तथा उनको हर प्रकार की मदद प्रदान करना।
44. जीव–जन्तु को संरक्षण प्रदान करना व उनपके रहने की व्यवस्था का प्रयास करना।
45. संस्था के माध्यम से उच्चस्तरीय खेलकूद जसे– किकेट, बालीबाल, फुटबाल, कबडडी व, कैरमबोर्ड बैडमिटन, सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोजन करवाना।
46. संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं को कला, चित्रकला, मूर्ति कला, काष्टकला, के बारे में जानकारी देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना।
47. भगवान बुद्व द्वारा बताये गये रास्तों पर चलने का प्रयास करना व उनके द्वारा बाताये गये बातों पर अमल करना।
48. वर्तमान समय में भूखमारी एवं बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु सेमिनार एवं गोष्ठियों का आयोजन करना।

Praveen Srivastava Ravindra Prakash Srivastava

शीलादेवी

सरिता रवीन्द्र संध्या प्रीती श्रीवास्तवा Ramj

रामजियावन

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम/पिता का नाम पता पद व्यवसाय जिनको संस्था के द्वारा नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया–

क्र.सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री रवीन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री रामचन्द्र लाल श्रीवास्तव	ग्रा. व पो. पकड़ी बख्तावर, दुबौलिया बाजार जनपद बस्ती	अध्यक्ष	वकालत
2	श्री प्रवीन कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री गिरधारी लाल श्रीवास्तव	ब्लाक रोड बैरिहवा जनपद बस्ती	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्रीमती प्रीती श्रीवास्तवा पत्नी श्री जयप्रकाश	ग्रा. गौरा पो. कप्तानगंज जनपद बस्ती	प्रबन्धक	गृहकार्य
4	रश्मि अस्थाना पत्नी श्री प्रदीप अस्थाना	डी–53 सेक्टर 130 नोएडा	उपप्रबन्धक	गृहकार्य
5	श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री रामचन्द्र लाल श्री0	531 मुहल्ला मड़वानगर गांधीनगर जनपद बस्ती	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य
6.	श्रीमती संध्या श्रीवास्तवा पुत्री श्री गुलाब चन्द्र श्रीवास्तव	मुहल्ला तुर्कहिया गांधीनगर बस्ती	सदस्य	गृहकार्य
7	श्री रामजियावन गुप्ता पुत्र श्री महादेव	ग्रा. कोडरी पो. पुर्सिया गांधीनगर जनपद बस्ती	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्री रवीन्द्र पुत्र श्री श्याम दास	ग्रा0 भरतपुर पो. पुर्सिया जनपद बस्ती	सदस्य	समाजसेवा
9.	श्रीमती सरिता पत्नी श्री जयप्रकाश दूबे	ग्रा. नकटी देई बुजुर्ग पो. कप्तानगंज	सदस्य	गृहकार्य

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था का रजि. एक्ट 21 सन् 1860 के अनुसार सोसायटी रजि. करवाना चाहते हैं

प्रीती श्रीवास्तवा

दिनांक 21/9/16

Praveen Srivastava Ravindra Prakash Srivastava हस्ताक्षर

शीला देवी संध्या Rasmi

सरिता रवीन्द्र रामजियावन

सत्य – प्रतिलिपि

ह0 14/10/16

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता 14/10/16

नियमावली

1. संस्था का नाम :: स्व0 रामचन्द्र लाल एजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी।
2. संस्था का पूरा पता :: 531 विवेकानन्द कालोनी, मड़वानगर गांधीनगर तह0. बस्ती जनपद बस्ती।
3. सस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

आजीवन सदस्य–

ऐसे सदस्य जो संस्था के हित में कम से कम 5000/ रूपया अथवा उतने मूल्य की चल अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में संस्था को दान स्वरूप देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

विशिष्ट सदस्य–

ऐसे सदस्य जो संस्था के हित में विशेष रूप से उपयोगी तथा प्रभावशाली होगें तथा साथ ही साथ संस्था के विशेष कार्यो में रूचि रखते हो संस्था के विशिष्ट सदस्य माने जायेगें।

सामान्य सदस्य–

ऐसे सदस्य जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कम से कम 1000/– रूपये नकद सदस्यता शुल्क के रूप में प्रति वर्ष संस्था को देते रहेगें संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें।

5. सदस्यता की समाप्ति–

संस्था के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति निम्न आधारों पर समाप्त मानी जायेगी।

1. किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर
2. किसी सदस्य के पागलपन से पीड़ित होने पर
3. किसी सदस्य के दण्डित होने पर
4. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर
5. सदस्यता से त्याग्र पत्र देने पर
6. संस्था के कई लगातार बैठकों में बिना कारण बतायें अथवा सूचना देने, अनुपस्थित रहने पर
7. संस्था की धारा 2/3 बहुमत से किसी कारण वश निकाले जाने पर
8. सस्थ की सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।

6. संस्था के अंग– सस्था के निम्न दो अंग होंगें–

अ– साधारण सभा ब– प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा–

क– गठन– सस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा जिसमें आजीवन, विशिष्ट सामान्य एव संस्था के सदस्य भी सम्मिलित होगें।

Praveen Srivastava

Ravindra Prakash Srivastava

प्रीती श्रीवास्तवा

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

ख– बैठकें– संस्था की साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक प्रबन्धक की अनुमति से कभी भी बुलाई जा सकती है

ग– सूचना–अवधि–संस्था के साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को नियमित रूप से दिया जायेगा।

घ– गणपूर्ति– संस्था की साधारण सभा की सामान्य रूप से समस्त बैठक की गणपूर्ति संस्था के कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में पूरी मानी जायेगी कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दिया जायेगा।

ङ– वार्षिक अधिवेशन की तिथि–संस्था के साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष के अन्त में आपसी राय से मांह जून के आखरी सप्ताह में किया जायेगा।

र– साधारण सभा के कर्तव्य

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट रिर्पोट पास करना।
4. संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
5. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति का देख भाल करना।

8– प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 5 पदाधिकारी एवं 3 सदस्य होगें और कुल की संख्या 08 की होगी।

ख– बैठक– प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में चार बार अवश्य होगी आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व बुलाई जा सकती है।

ग– सूचना अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 7 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देनी आवश्यक होगा।

घ– गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

ङ– रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर शेष काल के लिए की जायेगी।

9– प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य–

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिर्पोट पास करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय व सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं बैंक/बैंकों खादीग्रामोद्योगों, व्यक्ति/व्यक्तियों से चन्दा, दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
5. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन
6. आजीवन सदस्यों में से ही पदाधिकारियों का चुनाव किया जायेगा।
7. सामाजिक कार्यो का संचालन करना।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा।

Praveen Srivastava

प्रीती श्रीवास्तवा

Ravindra Prakesh Srivastava

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

10- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य–

अध्यक्ष–

1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
3. बैठकों में शांति व्यवस्था कायम करना।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौपे गये समस्त कार्यों को करना।

प्रबन्धक–

1. संस्था में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा, दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
4. राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना व संस्था के हित में खर्च करना।
5. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
6. संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।
7. कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करना।
8. संस्था के सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
9. कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति, निष्कासन व निलम्बन करना।
10. सदस्यों से चन्दा लेना व उसकी रसीद काटकर देने का अधिकार प्रबन्धक का होगा प्रबन्धक द्वारा जारी की गई रसीद ही मान्य होगी।
11. सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करना।
12. संस्था के कार्यों में सहयोग करना।
13. संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक कार्य किये जाने पर उन्हें दण्डित करना व निष्कासित करना।
14. संस्थ के समस्त कार्यो को अपनी देखरेख में करवाना।
15. शिक्षण व प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यों को अपनी देखरेख में करवाना।
16. बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
17. बैठकों का दिनांक, स्थान व समय निर्धारित करना।
18. संस्था के संगठन को मजबूत करना।

उपप्रबन्धक– प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक के समस्त कार्यों को अपनी देखरेख में करवाना।

कोषाध्यक्ष–

1. संस्था के लिए धन एकत्रित करना।
2. संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0 आफिस में संस्था के नाम से जमा करवाना।
3. प्रबन्धक के आदेश पर बिल एवं बाउचरों को चेक करना।
4. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा तैयार करना व साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

Praveen Srivastava

प्रीती श्रीवास्तवा
Ravindra Prakash Srivastava

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

11. संस्था के नियमों एंव विनियमों में संशोधन प्रकिया–
संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्धन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में सोसायटीज रजि0 अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किया जायेगा।

12. संस्था का कोष–
संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम से खोला जायेगा जिसमें खाते के संचालन के लिए प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

13. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)–
संस्था के वर्ष भर के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

14. संस्था द्वारा अथ वा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाहीयों के संचालन का उत्तरदायित्व–
अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके मुकदमों वाद– प्रतिवाद की पैरवी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

15. संस्था के अभिलेख–
1. सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर 3 स्टाक रजिस्टर 4 कैश बुक 5. सूचना रजिस्टर आदि।

16. संस्था का विघटन–
संस्था के विघटन की समस्त कार्यवाही सोसायटीज रजि0 अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक 27/9/16

हस्ताक्षर

Praveen Srivastava

प्रीती श्रीवास्तवा

Ravindra Prakash Srivastava

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर सत्यप्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता 19/10/16

सत्य – प्रतिलिपि

14/10/16

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

7

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण वर्ष में एक बार किसी आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

11. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व उपाध्यक्ष पर होगा। आवश्यकता पड़ने पर वह अपना अधिकृत प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकता है।

12. संस्था के अभिलेख :–

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश रजिस्टर

13. संस्था का विघटन :–

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के कार्यवाही सोसायटी अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्यप्रतिलिपि

Prakash Kumar Srivastava
Ravindra Prakash Srivastava प्रीती श्रीवास्तवा
शीला देवी

प्रतिलिपि कर्ता S.S.S.
मिलानु कर्ता 14-8-13

सत्य प्रतिलिपि
14/8/13
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

74

कैम्प कार्यालय सहायक निबंधक सोसाइटीज
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

पत्रावली संख्या के-45046
लेख का क्रम
प्रति
नवमावली
को दिनांक 14/7/09
सन् 1860 के अधिनियम के
अन्तर्गत नवीनीकरण की गयी
14-7-09

सहायक निबंधक सोसाइटीज
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर